न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर, सीकर

पीठासीन अधिकारी – बृजेश कुमार (आर.ए.एस.).

वाद संख्या 13/2019

1. रमसु यादव पुत्र सेडूराम उम्र 60 साल जाति यादव निवासी नारे तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

– वादी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

– प्रतिवादी

दावा बाबत् घोषणा दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड

उपस्थित – 1.श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका वकील वादी
2.नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक –22.10.20**

संक्षेप में वाद वादी इस प्रकार है कि ग्राम नारै पटवार हल्का हरदास का बास स्थित भूमि खसरा नंबर 453, 454, 455 कुल किता 3 कुल रकबा 1.23 है., में हिस्सा 3/28 की खातेदारी रामेश्वर पुत्र सेडूराम के नाम दर्ज है, भूमि खसरा नंबर 458 रकबा 1.91 है. में हिस्सा 1/3 की खातेदारी रमसाराम पुत्र सेडूराम के नाम दर्ज है, भूमि खसरा नंबर 457, 573, 577, 639, 640, 647, 660, 661, 662, 663, 664, 695, 695/894, 699, 699/895 कुल किता 15 कुल रकबा 8.77 है., में हिस्सा 1/7 की खातेदारी रामेश्वर पुत्र सेडूराम के नाम दर्ज है, भूमि खसरा नंबर 641 रकबा 0.71 है. में हिस्सा 1/6 की खातेदारी रामेश्वर पुत्र सेडूराम के नाम दर्ज है, भूमि खसरा नंबर 648 रकबा 0.38 है. में हिस्सा 1/2 की खातेदारी रामेश्वरलाल पुत्र सेडूराम के नाम दर्ज है, जो कि गलत है जबकि खातेदार वादी का वास्तविक नाम रमसु यादव पुत्र सेडूराम है। वादी के समस्त दस्तावेज यथा परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बिजली बिल, भामाशाह कार्ड आदि में वादी का नाम रमसु यादव पुत्र

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2020.10.27 12:16:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

सेडूराम ही दर्ज है। वादी को किसान केडिट कार्ड बनवाने हेतु राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर वादी का गलत नाम दर्ज होने की जानकारी होने पर प्रतिवादी को नाम दुरूस्ती हेतु निवेदन करने पर न्यायालय से वाद दायर कर आदेश लाने हेतु कहने पर वाद अन्दर न्यायालय क्षेत्र पैदा हुआ है। अतः वाद वादीगण डिक्री फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम रामेश्वरलाल, रामेश्वर, रमसाराम पुत्र सेडूराम के स्थान पर रमसु यादव पुत्र सेडूराम घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जावे एवं उक्तानुसार दुरूस्ती हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश प्रदान किया जावे। वादी ने वाद पत्र के साथ जमाबन्दी, प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत हरदास का बास, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, रिपोर्ट पटवारी दिनांक 22.6.19 की फोटो प्रति पेश की। वादी का वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस वकील वादी एवं पैरोकार सरकार सुनी गयी। दौराने बहस पैरोकार सरकार ने रिपोर्ट पटवारी दिनांक 22.6.19 के आधार पर वाद पत्र वादी स्वीकार किया।

बहस उभय पक्ष सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, रिपोर्ट पटवारी, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी में सहखातेदार के रूप में दर्ज रामेश्वरलाल, रामेश्वर, रमसाराम पुत्र सेडूराम एवं रमसु यादव पुत्र सेडूराम एक ही व्यक्ति है। वादी का कथन कि वादी का वास्तविक नाम रमसु यादव पुत्र सेडूराम होना एवं राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से रामेश्वरलाल, रामेश्वर, रमसाराम पुत्र सेडूराम दर्ज होना वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत हरदास का बास, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, रिपोर्ट पटवारी दिनांक 22.6.19 द्वारा साबित है। रिपोर्ट पटवारी दिनांक 22.6.19 में भी स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि रामेश्वरलाल, रामेश्वर, रमसाराम पुत्र सेडूराम व रमसु यादव पुत्र सेडूराम अलग–अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति के नाम हैं एवं रिकार्ड में रमसु यादव पुत्र सेडूराम करने की अभिशंषा की है। वाद पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत हरदास का बास से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। दौराने बहस पैरोकार सरकार ने भी अनुतोष स्वीकार किया है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं रिपोर्ट पटवारी, पैरोकार सरकार की स्वीकारोक्ति से वाद वादी बाबत घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती साबित होने से स्वीकार किया जाना उचित है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2020.10.27 12:03:09 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा ग्राम नारै पटवार हल्का हरदास का बास स्थित भूमि खसरा नंबर 453, 454, 455 कुल किता 3 कुल रकबा 1.23 है., भूमि खसरा नंबर 458 रकबा 1.91 है., भूमि खसरा नंबर 457, 573, 577, 639, 640, 647, 660, 661, 662, 663, 664, 695, 695/894, 699, 699/895 कुल किता 15 कुल रकबा 8.77 है., भूमि खसरा नंबर 641 रकबा 0.71 है., भूमि खसरा नंबर 648 रकबा 0.38 है. के राजस्व रिकार्ड में **रामेश्वरलाल, रामेश्वर, रमसाराम पुत्र सेडूराम** के स्थान पर **रमसु यादव पुत्र सेडूराम** दुरूस्त एवं घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर

(ब्रजेश कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
सहायक कलक्टर
श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2020.10.27 12:16:09 IST
Reason: SelfAttested